ऑन लाईन नं. RCMS 2024/137

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार , आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 47/2024

1. जयप्रकाश पुत्र हजारी राम जाति जाट निवासी 11 क्यू, मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये नायब तहसीलदार राजस्व, मिर्जेवाला तहसील श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 20.08.2024 उपतहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मिर्जेवाला आदेश क्रमांक/राजस्व/2024 /366 चक 11 क्यू. के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टर गैर.मुमकिन जोहड़ पायतन पर अवैध रूप से अतिचार कर मूंक की नाजायज काश्त की है का आदेश दिया गया को निरस्त करने हेतू।

उपस्थित :
1.श्री तेजा सिंह संधू अधिवक्ता अपीलार्थी
2.श्री गुरजीत सिंह वानर राजकीय अधिवक्ता

:: आदेश :: दिनांक :– 27.01.2026

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि :–

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून, वाकेयात व इंसाफ न होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है। आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न अपील है।
2. यह कि गांव के एक व्यक्ति जो प्रार्थी से रंजिश रखता था उसने प्रार्थी के विरूद्व एक आवेदन पत्र दिया कि चक 11 क्यू के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टयर रकबा गै.मु. जोहड़ पायतन दर्ज है जिस रकबा पर मूंग की फसल काश्त की हुई है। अपीलांट की खातेदारी भूमि गांव की आबादी व जोहड़ पायतन के साथ विपती हुई है जिसकी पैमाईशी रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई, जोहड़ पायतन की भूमि पर सरकारी स्कूल बना हुआ है व सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हरीजन परिवारों के मकान भी बने हुए है।
3. यह कि अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से कोई कब्जा जोहड़ पायतन की भूमि पर नहीं हुआ है, इसके लिए रेस्पोडेन्ट के समक्ष अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र पुनः पैमाईशी का दिया गया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि का क्षेत्र पूरा किया जावें

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

व दोनों तरफ से रकबा की पैमाईशी की जावें जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अपीलाट द्वारा उक्त रकबा पर पिछली 3 पीढियों से पीढी दर पीढी काश्त की जा रही है चूंकि भूमि आबादी भूमि से चिपती हुई है जिस कारण से अपीलांट के विरोधी व्यक्तियों ने जानबूझकर रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर गलत पैमाईश करवाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा (0.026 हैक्टर) को जोहड पायतन की भूमि में शामिल कर काश्त फसल की कुर्की की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

4. यह कि अपीलांट को रेस्पोडेन्ट द्वारा एक नोटिस दिनांक 20.08.2024 को दिया गया जिसमें अपीलांट को उक्त जोहड़ पायतन की भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 02.09.2024 को सुबह 10.00 बजे न्यायालय उप तहसीलदार मिर्जेवाला के समक्ष पेश होकर अपना पक्ष रखने का दिया गया। यह नोटिस केवल अपीलांट को ही दिया गया जबकि गांव के अन्य 10 काश्तकारों की भूमि आबादी के साथ चिपती है व रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई गलत पैमाईशी के मुताबिक उक्त 10 काश्तकारों की भूमि का कुछ हिस्सा भी जोहड पायतन के साथ आता है। केवल अपीलांट को ही नोटिस दिनांक 28.08.2024 को दिया जाकर फसल कुर्की की कार्यवाही जानबूझकर राजनैतिक दबाव में अमल में लायी जा रही है जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्व है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालय के आदेश काबिले खारिज है।
5. यह कि अपीलांट की जवाबदेही आने के बाद कोई मौका नहीं देखा गया और अपीलांट को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जब अपीलांट ने कह दिया था कि पुनः पैमाईशी कर रकबा का सीमा ज्ञान किया जावें परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर न करके आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्व होने से काबिले निरस्ती है।
6. यह कि अपीलांट एक जमीदार व्यक्ति है अगर अपीलांट के रकबा की फसल कुर्क की जाती है तो अपीलांट को भारी नुकसान होगा, अपीलांट फसल से महरूम हो जावेगा और ना पूरा होने वाला नुकसान होगा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दू पर कोई गौर नहीं किया और नोटिस जारी कर दिया जो विधि–विरूद्व होने से काबिले निरस्ती है।
7. यह कि अपील अपीलांट अदालत वाला के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार की है जो अन्दर अवधि उचित न्यायशुल्क पर पेश है

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 20.08.2024 उपतहसीलदार मिर्जेवाला को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रार्थना पत्र पर उप–तहसीलदार मिर्जेवाला से रिपोर्ट तलब की गई। उप तहसीलदार मिर्जेवाला ने अपनी रिपोर्ट कमांकःराजस्व/2024/427 दिनांक 24.09.2024 में निम्नानुसार अंकित किया कि :–

1. यह बिन्दु कार्यालय से सम्बन्धित नही है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

2. चक 11 क्यू के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टेयर रकबा गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का बख्ताना द्वारा दिनांक 14.08.2024 को इस कार्यालय मे रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत करवाया है कि उक्त रकबा पर श्री जयप्रकाश पुत्र हजारी लाल जाति जाट ने मूंग की नाजायज फसल काश्त की है।
3. यह कि राजस्व रिकॉर्ड व हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त जोहडपायतन की भूमि पर श्री जयप्रकाश द्वारा अतिक्रमण कर मूंग की नाजायज काश्त की है पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की गई है तथा प्रार्थी जयप्रकाश वगैरहा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर श्रीमान तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा गठित टीम द्वारा प्रश्नगत रकबा की पैमाईश करवाई गई है मौका पर फसल खड़ी होने के कारण पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी।
4. यह कि पटवारी हल्का बख्ताना द्वारा जिन–जिन व्यक्तियों के विरूद्व जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उन सभी व्यक्तियों के विरूद्व बिना किसी दबाव या पक्षपात के नियमानुसार कार्यवाही की गई है।
5. धारा--22 की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस जारी कर समुचित सुनवाई का अवसर दिया गया है व पैमाईश/सीमाज्ञान हेतु राजस्व कर्मचारीयों की टीम गठित कर पैमाईश सम्बन्धी कार्यवाही की गई है।
6. यह कि रकबा राज पर नाजायज शुदा काश्त की गई फसल की कुर्की की कार्यवाही राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में निर्धारित नियमानुसार की गई है जो कि प्रकरण के निर्णय होने तक बहक सरकार कुर्क की गई है, किसी तरह की निलामी आदि की कार्यवाही नहीं की गई है, इस कार्यालय द्वारा अभी तक उक्त प्रकरण में समस्त कार्यवाही निष्पक्ष व विधिसम्मत् सम्पन्न की गई है।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी के विरूद्व एक आवेदन पत्र गांव के किसी व्यक्ति ने इस आशय का दिया कि चक 11 क्यू के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टयर रकबा गै.मु. जोहड़ पायतन दर्ज है जिस पर मूंग की फसल काश्त की हुई है। अपीलांट की खातेदारी भूमि गांव की आबादी व जोहड पायतन के साथ चिपती हुई है जिसकी पैमाईशी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गई। उक्त जोहड पायतन की भूमि पर सरकारी स्कूल व प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत हरीजन परिवारों के मकान भी बने हुए है। अपीलांट द्वारा किसी प्रकार से कोई भी कब्जा जोहड पायतन की भूमि पर नहीं किया गया जिसके लिए अधीनस्थ न्यायलय नायब तहसीलदार गिर्जेवाला के समक्ष एक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र पुनः पैमाईशी का दिया गया कि अपीलांट की खातेदारी भूमि का क्षेत्र पूरा किया जावें व दोनों तरफ से रकबा की पैमाईशी की जावें जिस पर रेस्पोडेन्ट द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है। अपीलांट द्वारा उक्त रकबा पर पिछली 3 पीढियों से पीढी दर पीढ़ी काश्त की जा रही है चूंकि भूमि आबादी भूमि से चिपती हुई है जिस कारण से अपीलांट के विरोधी व्यक्तियों ने जानबूझकर रेस्पोडेन्ट से मिलीभगत कर गलत पैमाईश करवाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि का कुछ हिस्सा (0.026 हैक्टर) को जोहड़ पायतन की भूमि में शामिल कर काश्त फसल की कुर्की की कार्यवाही बाबत एक नोटिस दिनांक 20.08.2024 को दिया गया। उक्त नोटिस केवल अपीलांट को ही दिया गया जबकि गांव के अन्य 10 काश्तकारों की भूमि भी आबादी के साथ चिपती हुई है व रेस्पोडेन्ट द्वारा की गई गलत पैमाईशी के मुताबिक उक्त 10 काश्तकारों की भूमि का कुछ हिस्सा भी जोहड़ पायतन में आता है। अपीलांट की फसल कुर्की की कार्यवाही रेस्पोडेन्ट द्वारा जानबूझकर राजनैतिक दबाव में की गई है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 20.08.2024 उप तहसीलदार गिर्जेवाला को निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि उप तहसीलदार गिर्जेवाला का निर्णय दिनांक 20.08.2024 विधिसम्मत् है क्योंकि चक 11 क्यू के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टेयर रकबा गैर मुमकिन जोहड़ पायतन दर्ज है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का बख्ताना द्वारा दिनांक 14.08.2024 को अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया है कि उक्त रकबा पर श्री जयप्रकाश पुत्र हजारी लाल जाति जाट ने मूंग की नाजायज फसल काश्त की है। राजस्व रिकॉर्ड व हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में उक्त विवादित रकबा जोहड़पायतन ही है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही नियमानुसार प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी जयप्रकाश वगैरहा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार महोदय, श्रीगंगानगर द्वारा गठित टीम द्वारा प्रश्नगत रकबा की पैमाईश करवाई गई है मौका पर फसल खड़ी होने के कारण पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी। पटवारी हल्का बख्ताना द्वारा जिन-जिन व्यक्तियों के विरूद्व जोहड़ पायतन की भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उन सभी व्यक्तियों के विरूद्व बिना किसी दबाव या पक्षपात के नियमानुसार कार्यवाही की गई है। रकबा राज पर नाजायज शुदा काश्त की गई फसल की कुर्की की कार्यवाही राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में निर्धारित नियमानुसार की गई है। उप तहसीलदार गिर्जेवाला द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.08.2024 विधि सम्मत् है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलाधीन आदेश उप तहसील मिर्जेवाला दिनांक 20.08.2024 द्वारा चक 11 क्यू के खसरा संख्या 58/1 की 0.026 हैक्टेयर रकबा गैर मुमकिन जोहड पायतन दर्ज है। उक्त रकबा पर श्री जयप्रकाश पुत्र हजारी लाल जाति जाट ने मूग की नाजायज फराल काश्त की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर ही नियमानुसार प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज कर कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी जयप्रकाश वगैरहा के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा गठित टीम द्वारा प्रश्नगत रकबा की पैमाईश करवाई गई है मौका पर फसल खड़ी होने के कारण पैमाईश की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी थी। पटवारी हल्का बख्ताना द्वारा जिन–जिन व्यक्तियों के विरूद्व जोहड पायतन की भूमि पर अतिक्रमण कर नाजायज काश्त सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उन राभी व्यक्तियों के विरूद्व बिना किसी दबाव या पक्षपात के नियमानुसार कार्यवाही की गई है। रकबा राज पर नाजायज शुदा काश्त की गई फसल की कुर्की की कार्यवाही राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 में निर्धारित नियमानुसार की गई है। उपरोक्त विवेचन से उप तहसीलदार मिर्जेवाला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.08.2024 विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की दखल देने का कोई कारण या आधार नहीं है। अतः उप तहसीलदार मिर्जेवाला का आदेश दिनांक 20.08.2024 बहाल रखा जाकर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति पालनार्थ उप तहसीलदार मिर्जेवाला को भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति. जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner